प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.12.2024

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर फ्राड करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त 09 मोबाइल फोन, 01 चेकबुक, 01 पासबुक, 02 एटीएम कार्ड बरामद, विभिन्न राज्यों की लगभग 4.5 करोड़ रूपये के साइबर अपराध की विभिन्न घटनाओं का खुलासा

साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 अभियुक्तों को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाईल फोन, चेकबुक, पासबुक तथा एटीएम के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा खुलवाये गये बैंक खातों के आधार पर गुजरात के राजकोट निवासी श्री रिद्धिष शाह के साथ 3.66 करोड़, अहमदाबाद निवासी श्री जिगनेश भाई के साथ 44 लाख, आनन्द निवासी श्री किशोर भाई जादव के साथ 39 हजार का फ्राड, राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी श्री विजय सिंह के साथ 03 लाख, पंजाब के गुरदासपुर निवासी श्री अनिल के साथ 75 हजार, तेलंगाना के करीमनगर निवासी श्री अभिनव रेड्डी के साथ 3500/- रूपये के साइबर अपराध की घटना का खुलासा हुआ। इस गिरोह के द्वारा बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स से चेक धोखाधड़ी से प्राप्त कर कूटरचना कर फ्रॉड करने की विभिन्न शहरों की 31 घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। चेकों की डिटेल के आधार पर सम्बन्धित बैंकों से घटना की जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अमित रॉय ने बताया कि उसका एक गैंग है, जिसमें उसके अलावा उत्तम दा, विवेक कुमार, अनुज कुमार, मुकेश चौहान उर्फ प्रधान, अतुल, विक्की यादव और राहुल सक्रिय सदस्य हैं। इस गैंग के लोग जरूरतमंद लोगों के बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराध में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस गैंग के सदस्य बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स से लोगों के चेक धोखाधड़ी से प्राप्त कर, उन चेकों में बैनीफिशयरी के नाम को केमिकल से हटाकर उसकी जगह इनके पास मौजूद म्यूल बैंक खातों की डिटेल भरकर इन चेकों को कैश करा लिया करते हैं। बैंकों में जाकर चेक ड्रॉप बॉक्स में गलत चेक डल जाने की बात कहकर बैंक कर्मी से चेक ड्रॉप बॉक्स खुलवाकर ये लोग चेक प्राप्त कर लिया करते थे और इन्ही चेकों में नाम बदलकर पैसे निकाल लेते थे। अमित रॉय और उत्तम दा इन कूटरचित चेकों को जिन बैंक खातों में जमा किया जाता था, उन खातों से पैसे निकालने का काम करते थे। विवेक कुमार ने बताया कि वो अपने साथी अनुज, मुकेश चौहान उर्फ प्रधान, अतुल, विक्की यादव के साथ कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, बड़ौदा, नागपुर, भोपाल, विजयवाड़ा, चेन्नई, हैदराबाद सहित देश के विभिन्न शहरों के बैंकों के चेक ड्रॉप बॉक्स से चेकों को प्राप्त करने तथा नाम बदलने का काम करते थे। इस गैंग के द्वारा खुलवाये गये बैंक खातों का प्रयोग विभिन्न साइबर अपराधों में किया गया है।

अमित रॉय के पास से लाखों की कीमत के सैमसंग, तथा आइफोन के लेटेस्ट मॉडल मिले हैं, जोकि इसने साइबर अपराध से अर्जित कर खरीदा था।

इस गैंग के अमित रॉय, राहुल एवं विवेक कुमार को दिनांक 29.12.2024 को विजयनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गैंग के शेष सदस्य उत्तम दा निवासी साल्टलेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, अनुज कुमार निवासी बिजनौर और अतुल निवासी बिजनौर, मुकेश चौहान उर्फ प्रधान निवासी देहरादून, विक्की यादव निवासी दिल्ली की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अमित राय पुत्र शंकर राय निवासी ग्राम बेलतला बाजार, थाना नवदीप, जिला नदिया, प0 बंगाल हाल पता बी-1/8, सेक्टर 17, लक्ष्मी चक्की मिल के ऊपर थर्ड फ्लोर, थाना रोहिणी, दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष शिक्षा एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस
2. विवेक कुमार उर्फ जतिन गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार प्रजापति निवासी मोहल्ला नौमी, बढ़ापुर, थाना बढ़ापुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश उम्र करीब 36 वर्ष शिक्षा बी0एस0सी0
3. राहुल पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 402, गली नं0 2/2, सोनिया विहार, थाना सोनिया विहार, दिल्ली उम्र 33 वर्ष शिक्षा 07 वीं पास

बरामदगी का विवरण

09 मोबाइल फोन, 01 चेकबुक, 01 पासबुक, 02 एटीएम कार्ड

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 30.12.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. केतन उर्फ आर्यन पुत्र यशवीर निवासी ग्राम खामपुर लहारी थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 31 वर्ष 2. सलमान पुत्र नसरुद्दीन निवासी कमल विहार नसबन्दी कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को बिजलीघर के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशांदेही/ कब्जे से अलग- अलग स्थानों से चोरी की गई 04 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद हुयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये मोटरसाइकिलें व स्कूटी दिल्ली के अलग अलग स्थानों से चोरी की थीं जिन्हें हमने बेचने के लिए अभी तक छिपाकर रखा हुआ था। आज हम इन चोरी के वाहनें को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. केतन उर्फ आर्यन पुत्र यशवीर निवासी ग्राम खामपुर लहारी थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 31 वर्ष।
2. सलमान पुत्र नसरुद्दीन निवासी कमल विहार नसबन्दी कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली के अलग-अलग स्थानों से चोरी की गयी 04 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सलमान के विरुद्ध थाना लोनी पर लूट, झगडा, चोरी, बरामदगी, एनडीपीएस एक्ट, पोक्सो एक्ट के कुल 07 अभियोग, थाना कौशाम्बी पर आयुध अधिनियम व हत्या के प्रयास के 02 अभियोग, दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर झगडे का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त केतन उर्फ आर्यन के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर आयुध अधिनियम, छिनैती, चोरी व बरामदगी के कुल 03 अभियोग, थाना लोनी बोर्डर पर आयुध अधिनियम व चोरी के कुल 02 अभियोग, थाना लोनी पर एनडीपीएस एक्ट, आयुध अधिनियम व चोरी के कुल 04 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग, दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना अंकुर विहार पर उक्त बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले घुमन्तू जाति के 05 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता (टप्पेबाज) गिरफ्तार, कब्जे से 02 लाख 45 हजार रूपये बरामद।

दिनांक 24.12.2024 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी को झांसे में लेकर 300 ग्राम सोने के सिक्के बेचने के एवज में वादी से ठगी करके 09 लाख रूपये ले लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 218(2)/303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.12.2024 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तों 1.भलवा पुत्र मुकेश निवासी देवगांव थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 20 वर्ष 2. मेरेनाम पुत्र खन्दरालाल निवासी ग्राम इमलिया थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्यप्रदेश, उम्र करीब 20 वर्ष 3. रघुवीर पुत्र सिमीन निवासी देवगांव थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 21 वर्ष 4. अंटे पुत्र चल्टू निवासी हरद्वा थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 20 वर्ष 5.आरद पुत्र भारद निवासी गांव हरवाई विलासपुर थाना चन्दिया जिला उमरिया मध्य प्रदेश, उम्र करीब 19 वर्ष व महिला अभियुक्ता 6. नक्छिदी उर्फ पायल पत्नी चिन्टू निवासी हरद्वा थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 21 वर्ष को कनौजा मटियाला पैरीफैरल पुल से दुहाई की तरफ कनौजा साईड से थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 लाख 45 हजार रूपये बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम गौण्ड (अघोरी) के घुमन्तू जाति के लोग हैं हम अलग अलग जगहों पर झुग्गी लगाकर रहते हैं। हमारी साथी अभियुक्ता की मुलाकात बनारस में वादी से एक शिव कथा में हुई थी जहां पर महिला अभियुक्ता ने उस व्यक्ति को बातों में लेकर बताया कि हमारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं जिन्हे हम सस्ते दाम पर बेचते हैं। वादी हमारी बातो में आ गया और दिनांक 23.12.2024 दुहाई के पास पैराफेरल थाना क्षेत्र मुरादनगर में आगरा के रहने वाले वादी राधेश्याम से सोने के सिक्के देने के बदले 09 लाख रूपये ठग लिए थे और रूपये लेकर हम वहां से भाग गये थे। यह वही पैसे हैं जो हमारे हिस्से में आये थे बाकी रूपयों को एक बाबा जिसका नाम पता हम नहीं जानते जो मेरठ की तरफ झोपडियों में रहता है वह लेकर भाग गया है उसी के पास सिक्के हैं। हम उसका पता नही जानते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.भलवा पुत्र मुकेश निवासी देवगांव थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 20 वर्ष।

2. मेरेनाम पुत्र खन्दरालाल निवासी ग्राम इमलिया थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्यप्रदेश, उम्र करीब 20 वर्ष।

3. रघुवीर पुत्र सिमीन निवासी देवगांव थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 21 वर्ष।

4. अंटे पुत्र चल्टू निवासी हरद्वा थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 20 वर्ष

5.आरद पुत्र भारद निवासी गांव हरवाई विलासपुर थाना चन्दिया जिला उमरिया मध्य प्रदेश, उम्र करीब 19 वर्ष।

6. नक्छिदी उर्फ पायल पत्नी चिन्टू निवासी हरद्वा थाना रीठी जिला जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, उम्र करीब 21 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 02 लाख 45 हजार रूपये बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार, 03 मास्टर चाबी, 02 ACM व 01 कार का लॉक बरामद।

दिनांक 29.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त मुसाहिद पुत्र रसीद निवासी अंसार मस्जिद के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को पुस्ता रोड थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 कार व 03 मास्टर चाबी, 02 ACM व 01 कार का लॉक बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मास्टर चाबी से मौका पाकर कार का लॉक तोड कर वाहन चोरी कर लेता हूँ। यदि कार स्ट्रार्ट नहीं होती है तो उसमें से ACM को खोल कर राह चलते लोगों को बेच देता हूँ। मैंने यह कार दिनांक 27.12.2024 को C-Block, Sector 15 रोहिणी दिल्ली से चोरी की थी। आज मैं इस कार को बेचने ले जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मुसाहिद पुत्र रसीद निवासी अंसार मस्जिद के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है व थाना अंकुर विहार पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 कार व 03 मास्टर चाबी, 02 ACM व 01 कार का लॉंक बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी अभिरक्षा में ,कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन, 01 अल्ट्रा घड़ी व काले रंग का बैग बरामद।

दिनांक 29.12.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी आदित्य प्रधान पुत्र कमल प्रधान निवासी जलालपुर रघुनाथपुर पाईपलाइन रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 28/29.12.2024 की रात्रि को वादी की NH-58 दिल्ली मेरठ हाइवे पर मेट्रो पिलर नं0 869 के पास स्थित (हब मुरादनगर) नाम की लैपटाप व मोबाइल की दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा दुकान से एक काले रंग का बैग, एक अल्ट्रा वॉच गोल्डन रंग व 20 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 331(4)/305(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.12.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. राजेश उर्फ राज पुत्र अजय कुमार निवासी जलालपुर रोड शिव मन्दिर के पास किराये का मकान थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम हिसाली थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष 2. अरमान पुत्र यामीन निवासी किराये का मकान गली नं0 05 टावर वाली गली न्यू डिफेंस कॉलोनी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष 3. यामीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी गली नं0 05 टावर वाली गली न्यू डिफेंस कॉलोनी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष को हिसाली धेदा रोड पर पुरानी कॉलोनी मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन, 01 अल्ट्रा घडी व काले रंग का 01 बैग बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये सभी मोबाईल फोन हमने मिलकर दिनांक 29.12.2024 की रात्रि में मेरठ गाजियाबाद मैंन रोड पर स्थित एक दुकान से चोरी किये थे। हमने पहले रैकी कर चोरी करने की यह योजना बनायी थी फिर यामीन दुकान से कुछ दूरी पर थाने की तरफ खडा होकर पुलिस व आने जाने वाले लोगों पर निगाह रख रहा था। हमने चोरी के मोबाइल फोन को आपस में बांट लिया था। आज हम चोरी के सभी मोबाइल फोन बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजेश उर्फ राज पुत्र अजय कुमार निवासी जलालपुर रोड शिव मन्दिर के पास किराये का मकान थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम हिसाली थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष ।
2. अरमान पुत्र यामीन निवासी किराये का मकान गली नं0 05 टावर वाली गली न्यू डिफेंस कॉलोनी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

3. यामीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी गली नं0 05 टावर वाली गली न्यू डिफेंस कॉलोनी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष।

02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अरमान के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी, नकबजनी के कुल 07 अभियोग, अभियुक्त राजेश उर्फ राज के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी, नकबजनी के कुल 03 अभियोग, अभियुक्त यामीन के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी, नकबजनी के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। 01 बाल अपचारी के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी, नकबजनी के कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल फोन, 01 अल्ट्रा घडी व काले रंग का बैग बरामद।

गिरफ्तार एवं अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।